कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां (राज.)

क्रमांक : स्था./प.14/आदेश–परिपत्र–04/2020/1545 दिनांक 09.12.2023

आ दे श

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक 13/विविध/2023 दिनांक 02.12.2023 तथा पृष्ठांकन संख्या सामान्य/XII/11/1990/SC-I/2324 दिनांक 02.12.2023 द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में **सोमवार दिनांक 25 दिसम्बर, 2023 से रविवार दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक शीतकालीन अवकाश (Winter Holidays) घोषित** किया गया है। अतः जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय उक्त अवधि में बन्द रहेगें, **परन्तु वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय राजपत्रित अवकाश तथा सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर सोमवार दिनांक 25 दिसम्बर, 2023 से रविवार दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में खुले रहेगें।** उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं कर्मचारीगण शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं करेगें।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के उक्त आदेश की पालना में आदेश दिया जाता है कि उक्त शीतकालीन अवकाश की अवधि में जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 01 बारां एवं क्रम 02 बारां, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश छबड़ा, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अटरू तथा विशिष्ट न्यायाधीश, (एससी/एसटी प्रकरण) बारां के न्यायालय के आवश्यक सिविल एवं आपराधिक प्रकृति के ऐसे आवेदन–पत्र, जो उपर्युक्त न्यायालयों के समक्ष पेश किये जाते या लम्बित है, को दिनांक **25.12.2023 से 28.12.2023** तक **श्रीमती कविता राणावत**–वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां व दिनांक **29.12.2023 से 31.12.2023** तक **श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा** अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां सुनेगें एवं निपटायेंगे। उक्त अवधि में उपरोक्त अधिकारीगण बारां मुख्यालय पर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–बारां के न्यायालय/कार्यालय में कार्य सम्पादित करेंगें। **न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां–के कर्मचारीगण दिनांक 25.12.2023 से 31.12.2023 तक राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर शीतकालीन अवकाश अवधि का उपभोग नहीं करेंगें तथा उक्त अवधि में कार्यालय में कार्य सम्पादित करेगें।**

इसी प्रकार उक्त शीतकालीन अवकाश अवधि में दिनांक **25.12.2023 से 31.12.2023** तक अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालय बन्द रहेगें, परन्तु उक्त अवधि में बारां न्यायक्षेत्र/सेशन खण्ड के आवश्यक जमानत एवं निरोध अवधि की अभिवृद्धि (रिमाण्ड) सम्बन्धी तथा अन्य आवश्यक सिविल मामले व दैनिक कार्यो सहित किये जाने हेतु दिनांक **25.12.2023 से 27.12.2023** तक **श्रीमती रचना वैष्णव**–सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगंज व दिनाक **28.12.2023 से 31.12.2023** तक **श्री अरूण प्रकाश आर्य**–सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां को जिला मुख्यालय पर **सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां के न्यायालय/कार्यालय में कार्य सम्पादित** करने हेतु तथा प्रोटोकॉल एवं अन्य व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जाता है। **न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां के कर्मचारीगण दिनांक 25.12.2023 से 31.12.2023 तक राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर शीतकालीन अवकाश अवधि का उपभोग नहीं करेंगें तथा उक्त अवधि में कार्यालय में कार्य सम्पादित करेगें।**

ऐसे कर्मचारी, जो शीतकालीन अवकाश के दौरान कार्य करेंगें, उन्हें राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय मंत्रालयिक संस्थापन नियम 1986 के नियम 35 (क) के तहत अगले कलेण्डर वर्ष में नियमानुसार प्रतिपूरक आकस्मिक अवकाश द्वारा क्षतिपूरित किया जायेगा।

Sd/

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बारां (राज.)

क्रमांकः दिनांक : 09.12.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. जिला कलेक्टर, बारां
3. पुलिस अधीक्षक, बारां को प्रेषित कर लेख है कि सभी थानाधिकारियों को सूचित करने का श्रम करें।
4. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा/प्रतिलिपि शाखा/अभिलेख कक्ष, जिला न्यायालय बारां
5. समस्त अधीनस्थ न्यायालय, बारां न्यायक्षेत्र ....
6. प्रोटोकॉल अधिकारी–कम–प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ मुंसरिम/रीडर, जिला न्यायालय, बारां
7. सेशन लिपिक/सिविल लिपिक/इजराय लिपिक, जिला न्यायालय बारां
8. अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद समस्त बारां न्यायक्षेत्र............................
9. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय बारां

9.12.23

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बारां (राज.)